

विज्ञप्ति-सूचना, दिनांक: 30 जून, 2026.
बावत् पदोन्नति प्रक्रिया-2026
(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग)

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल से प्राप्त पत्र संख्या: 7339/UHC/Admin.B/XIX-16/2024, दिनांकित: 19 दिसम्बर, 2024 के क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, चम्पावत के कार्यालय आदेश संख्या: 33/2026, दिनांकित: 11 जून, 2026 के अनुपालन में जजशिप चम्पावत में वर्तमान में तृतीय-श्रेणी-मिनिस्ट्रीयल (लिपिकीय) संवर्ग में पदोन्नति के रिक्त/उपलब्ध पदों पर जजशिप में कार्यरत अर्ह कर्मचारीगण की पदोन्नति से विभागीय नियमावली-2007 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर भरा जाना है।

उक्त पदोन्नति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिनांक 23-06-2026 को विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रवर्ग में क्रमवार पदोन्नति प्रक्रिया अग्रसारित की जायेगी। उक्त के क्रम में वर्तमान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग में पदोन्नति के उपलब्ध 02 (दो) पदों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग के ठीक नीचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग में कार्यरत अर्ह कर्मचारीगण की उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकता है जिससे उक्त पदोन्नति के पश्चात् शेष प्रवर्गों में सम्भावित रिक्त/उपलब्ध पदों पर उसके ठीक नीचे प्रवर्ग में कार्यरत अर्ह कर्मचारीगण की पदोन्नति प्रक्रिया भी क्रमानुसार शुरू की जा सके।

प्रशासनिक अनुभाग जजशिप चम्पावत की आख्या दिनांकित 10 जून, 2026 के अनुसार वर्तमान में लिपिकीय संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग-6 में पदोन्नति के 02 रिक्त पद हैं, जिन्हें नियमानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के प्रवर्ग-5 में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है, जिनका विवरण निम्न है:- 1-श्री आनन्द राम, 2-श्री विनोद कुमार, 3-श्री लक्ष्मण सिंह मेहरा एवं 4-श्री हरीश जोशी

उपरोक्त वर्णित समस्त अर्ह तृतीय-श्रेणी कर्मचारीगण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि:-



समिति द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग-6 में पदोन्नति हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्ग-5 से पात्रता रखने वाले कार्यरत कर्मचारियों का चयन विभागीय नियमावली वर्ष-2007 व सम्बन्धित शासनादेशों/नियमावली के दृष्टिगत Suitability Test के माध्यम से निम्न मापदण्डों को अपना कर "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा तथा उक्त सम्बन्धित कर्मचारीगण की "उपयुक्तता एवम् अनुपयुक्तता" निर्धारण हेतु उक्त परीक्षा के लिए योग्यता अंक (Passing Marks) 60 प्रतिशत अर्थात् 90 अंक रहेंगे।

परीक्षा का प्रारूप	निर्धारित अंक	लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम	लिखित परीक्षा की अवधि
लिखित परीक्षा (Objective Question & Short Question-Answer)	50	1-सामान्य नियम(दीवानी), 2-सामान्य नियम (फौजदारी), 3-वित्तीय हस्त पुस्तिका, 4-माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा जारी सर्कुलर लैटर की जानकारी। 5-नज़ारत व लेखा अनुभाग के कार्य से सम्बन्धित जानकारी।	01 hour
साक्षात्कार	50	---	
अन्य मापदण्ड	50	सेवा पुस्तिका (20 अंक), वार्षिक चरित्र प्रविष्टियाँ (30 अंक)	
कुल अंक	150	---	

अतः उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक प्रवर्ग '5' वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के समस्त अर्ह कर्मचारीगण समिति द्वारा **दिनांक 18 जुलाई, 2026** को आयोजित लिखित "उपयुक्तता परीक्षा एवं साक्षात्कार" हेतु जजशिप के सभागार कक्ष में निम्नानुसार उपस्थित रहेंगे।

परीक्षा का प्रारूप	दिनांक	समय	स्थान
लिखित परीक्षा	18-07-2026	02:00 PM से 03:00 PM	जजशिप सभागार
साक्षात्कार	18-07-2026	03:30 PM onwards	जजशिप सभागार

उक्त विज्ञप्ति न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड की जाये तथा जजशिप चम्पावत के कर्मचारीगण के व्हाट्सऐप ग्रुप पर परिचालित हो। तदनुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

अध्यक्षा-समिति

(निहारिका मिस्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चम्पावत।

30-06-2026